HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous II Bail Application No. 17279/2026
CNR: RJHC021050062026 | URN: CRLMB / 31800U / 2026

1. Bhagwan Shahay S/o Jagan, Aged About 51 Years, Resident Of Bairwa Mohalla, Piloda Thana, Piloda, District Sawai Madhopur Rajasthan (Presently Confined At Sub Jail Gangapur City)
2. Khemraj S/o Jagan, Aged About 43 Years, Resident Of Bairwa Mohalla, Piloda Thana, Piloda, District Sawai Madhopur Rajasthan (Presently Confined At Sub Jail Gangapur City)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Swapnil Singh Patel Ms. Shivangi Patel
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

02/11/2026

कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों को दूर किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या–1/2026 पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं योग्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों की रोशनी में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तथा कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटि को दूर किया जाकर आरोप पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र **पुलिस थाना–पीलौदा जिला–सवाई माधोपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **55/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 117(2), 109(1), 352, 125, 110 बी.एन.एस. में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.9.2026 को निरस्त किया गया था।

उनका तर्क है कि पूर्व में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.9.2026 को निरस्त होने के बाद अब मामले में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा उनकी अभिरक्षा की अवधि भी तीन माह से अधिक हो चुकी है। उनका तर्क है कि प्रकरण में जिस आहत भगवान सहाय पुत्र धुन्धी के सिर में गंभीर उपहति कारित किया जाना तथा जिसे उपचार नहीं मिलने पर जीवन के लिए घातक होना बताया गया है, उस चोट को कारित करने का आक्षेप प्रार्थीगण–अभियुक्त पर नहीं है। इस चोट को कारित करने का आक्षेप सहअभियुक्त विजेन्द्र पर है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा केवल थाप–मुक्कों से मारपीट करना तथा ईंटें फेंककर मारना बताया गया है। आहत खेमराज पुत्र मीठया के जो गंभीर चोटें आना बताया गया है, उन चोटों को कारित करने का विशिष्ट आक्षेप प्रार्थीगण–अभियुक्तगण पर नहीं है। उनका तर्क है कि इस घटना के सम्बन्ध में अभियुक्त पक्ष की ओर से भी क्रॉस एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। वे दिनांक 30**.7.2026** से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उनके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दोनों अभियुक्तगण का नाम अंकित है तथा उनके द्वारा आहतगण भगवान सहाय पुत्री धुंधी तथा खेमराज पुत्र मीठिया के साथ थाप–मुक्कों से तथा ईंटे फेंक मारपीट की गई, जिससे खेमराज पुत्र मीठिया के दो गंभीर उपहतियां कारित हुई हैं, जिसके ईलाज के दौरान उसका दो बार ऑपरेशन हो चुका है तथा वह अभी भी उपचाररत होते हुए अस्पताल में भर्ती है। गंभीर अपराध है। अतः उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पूर्व में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.9.2026 को निरस्त होने के बाद अब मामले में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा उनकी अभिरक्षा की अवधि भी तीन माह से अधिक हो

चुकी है। प्रकरण में जिस आहत भगवान सहाय पुत्र धुन्धी के सिर में गंभीर उपहति कारित किया जाना तथा जिसे उपचार नहीं मिलने पर जीवन के लिए घातक होना बताया गया है, उस चोट को कारित करने का आक्षेप प्रार्थीगण–अभियुक्त पर नहीं है। इस चोट को कारित करने का आक्षेप सहअभियुक्त विजेन्द्र पर है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा केवल थाप–मुक्कों से मारपीट करना तथा ईंटें फेंककर मारना बताया गया है। आहत खेमराज पुत्र मीठया के जो गंभीर चोटें आना बताया गया है, उन चोटों को कारित करने का विशिष्ट आक्षेप प्रार्थीगण–अभियुक्तगण पर नहीं है। इस घटना के सम्बन्ध में अभियुक्त पक्ष की ओर से भी क्रॉस एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। वे दिनांक 30.7.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उनके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में, इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/D-A/58/JITENDRA SINGH PANWAR